

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक प. 8(10) ग्रा.वि./अनु.-8/2015

जयपुर, दिनांक:-19.03.2015

**बैठक सूचना (संशोधित)**

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2015 को 12:00 बजे अपराह्न ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में बैठक रखी गयी है।


राज्य में बीपीएल परिवारों को देय लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें मोबाइल ऐप विकसित किया जायेगा, जिसके माध्यम से बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा विभिन्न विभागों द्वारा कब-कब व कितना-कितना लाभ दिया गया है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-

1. बीपीएल परिवारों को दी जा रही सुविधाओं के विवरण
2. सुविधाओं की डिलेवरी के मोनिटरिंग व्यवस्था यदि ऑन लाईन मोनिटरिंग सिस्टम है तो उसका विवरण।


निम्न अधिकारियों से निवेदन है कि उक्त सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेने का श्रम करें।

1. परि. निदेशक, मुख्यमंत्री, जीवन रक्षाकोष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
2. निदेशक, समाज न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, राजमहल पेलेस एरिया, जयपुर।
3. अति. आयुक्त, कम संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.-2), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त एवं उप शासन सचिव-2, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. परि. निदे. एवं उप सचिव (नरेगा/ आजीविका)।
6. अधीक्षण अभियन्ता, इन्दिरा आवास योजना।

  
19.3.15  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महानरेगा)।
5. निजी सचिव, परि. निदेशक, मुख्यमंत्री, जीवन रक्षाकोष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, समाज न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, राजमहल पेलेस एरिया, जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. आयुक्त, कम संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.-2), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं उप शासन सचिव-2, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. परि. निदे. एवं उप सचिव (नरेगा/ आजीविका)।
10. अधीक्षण अभियन्ता, इन्दिरा आवास योजना।

  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)